Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

माइका सिंडिकेटः स्वास्थ्य एवं कल्याण

Dr. Ranjan Kumar*

ICHR, JRF, UGC Net, Patna University, Patna, Bihar

सार - *आजादी के पहले अँग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण अभ्रक मजदूरों की स्थित ठीक नही थी सिके कारण आजादी के बाद भारत की सरकार ने। माइका सिंडिकेट की स्थापना की। एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में माइका सिंडिकेट' की स्थापना तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 01 सितम्बर, 1961 को की गई।*

माइका सिंडिकेट' की स्थापना का मुख्य उद्धेश्य अभ्रक की मांग में उतार-चढ़ाव से निर्माताओं, डीलरों एवं निर्यातकों की मदद हेतु अभ्रक उद्योग की रक्षा करना था। इसके साथ ही अभ्रक खानों के श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं जनकल्याण को भी इसने अपना लक्ष्य बनाया।

माइका सिंडिकेट (अभ्रक व्यवसाय संघ) की धारा के अधीन तत्कालीन बिहार के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त था कि वह पूर्णकालिक अवधि के लिए एक अध्यक्ष (चेयरमैन) और उसे सहयोग देने हेतु एक सचिव की नियुक्ति कर सके। बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर में राज्य सरकार द्वारा नामित 50% भूतपूर्व सरकारी निदेशक और 50% निर्वाचित 'निदेशक होते थे जिनके पास पाँच हजार रूपये तक का शेयर होता था। कम्पनी को शत-प्रतिशत राज्य के अधिकार में करने के लिए मई, 1975 में अभ्रक व्यवसाय संघ की धारा में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत् बिहार के राज्यपाल को कम्पनी के सभी डाइरेक्टरों को नामित करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिनकी संख्या दो से पन्द्रह के बीच होती थी।

नवम्बर, 1978 से अभ्रक खनन का कार्य बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) को स्थानांतरित हो गया। व्यापक कोशिशों के बावजूद 'अभ्रक व्यवसाय संघ' को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जिस मुख्य उद्धेश्य को लेकर सिंडिकेट की स्थापना की गई थी, उसे प्राप्त करने में माइका सिंडिकेट असफल रहा।

माइका सिंडिकेट ने अपने अध्यक्षों द्वारा विदेशी बाजार को समझने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सुव्यवस्थित परिणाम नहीं निकला। अतः माइका सिंडिकेट न तो अपने विपणन कुशाग्रता को विकसित कर सका और न ही वैदेशिक मामले के साथ व्यवसायिक संबंध को विकसित कर सका।

'माइका सिंडिकेट:स्वास्थ्य एवं कल्याण' ने अभ्रक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु भी कोई विशेष कोशिश नहीं की। यद्यपि सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण हेतु बहुत-सारे कानून पास किये गए, परंतु वे भी काफी नहीं थे।

मुख्य शब्द: *माइका सिंडिकेट, नवीन तकनीकी, माइका एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉसिल, अभ्रक निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, अभ्रक व्यवसाय संध।*

----------X----------

मुख्य आलेख:

झारखण्ड खनिज-संपदा की दृष्टि से एक अत्यंत ही समृद्ध राज्य है। भारत में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ इतने प्रकार के खनिज एक साथ एक ही क्षेत्र में पाए जाते हों। झारखण्ड क्षेत्र भारत का 58 प्रतिशत अभ्रक, 30 प्रतिशत कायनाइट, 33 प्रतिशत कोयला, 33 प्रतिशत तांबा, 13 प्रतिशत ग्रेफाइट, 32 प्रतिशत बॉक्साइट, 19 प्रतिशत लौह अयस्क और 95 प्रतिशत पायराइट उत्पादन करता है। यही कारण है कि झारखण्ड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। यहाँ मुख्यतः दामोदर आरैर स्वर्णरेखा नदी की घाटियों में खनिजों के भण्डार है। अभ्रक के उत्पादन में तो झारखण्ड न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की स्थिति हमेशा दयनीय रही है। जिन इलाकों में

www.ignited.in

अभ्रक के भण्डार है, उन इलाकों के लोग मौजूदा स्थिति से परेशान है। आजादी के पूर्व अँग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण अभ्रक मजदूरों की दशा में कोई सुधार नहीं हो सका। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस दिशा में पहल की। माइका सिंडिकेट की स्थापना इस दिशा में एक सार्थक प्रयास था। झारखण्ड में अभ्रक उद्योग के इतिहास में अभ्रक व्यवसाय संघः स्वास्थ्य एवं कल्याण' (माइका सिंडिकेटः हेल्थ एण्ड वेलफेयर) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में माइका सिंडिकेट' की स्थापना तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 01 सितम्बर, 1961 को की गई। इसका मुख्यालय झुमरी तिलैया (कोडरमा) में स्थापित किया गया, जिसे मार्च 1965 में हजारीबाग स्थानांतरित कर दिया गया। इसका स्थानीय अभ्रक व्यापारियों ने तीव्र विरोध किया। व्यापक विरोध को देखते हुए सन् 1975 ई0 में इसका मुख्यालय पुनः झुमरी तिलैया ही कर दिया गया। 'माइका सिंडिकेट' की स्थापना का मुख्य उद्धेश्य अभ्रक की मांग में उतार-चढ़ाव से निर्माताओं, डीलरों एवं निर्यातकों की मदद हेतु अभ्रक उद्योग की रक्षा करना था। इसके साथ ही अभ्रक खानों के श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं जनकल्याण को भी इसने अपना लक्ष्य बनाया।

सन् 1960 ई0 तक अभ्रक उद्योग एक गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहा था। इस अवधि तक यह उद्योग सरकार के नियंत्रण से बाहर हीं रहा। अभ्रक उद्योग के क्षेत्र में आए इस गंभीर मंदी का प्रमुख कारण था। अभ्रक की अंतराष्ट्रीय माँग में कमी आना। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा जो माल खरीदा जा रहा था, वह अब खरीदना बंद हो गया। दूसरी ओर, कोई भी अन्य देश इतनी भारी मात्रा में अभ्रक को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अतः अंतराष्ट्रीय माँग के अभाव में अभ्रक व्यापार प्रतिवर्ष नीचे जा रहा था। इससे इस उद्योग को गहरा आघात पहुँचा। सन् 1960 ई0 तक अभ्रक की कीमत निर्धारण पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह मुख्यतः बेचनेवाले एवं खरीदनेवाले के द्वारा माँग एवं आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाती थी। बढ़ती प्रतिस्पद्र्धा के कारण अभ्रक-निर्यातक अभ्रक की कीमत कम लगाने लगे। इस उद्योग के शुरूआती दौर से ही व्यापार का जो स्वरूप था, वह प्रेषित माल (कनसाइनमेंट) के आधार पर था। लेकिन 1963 ई0 से अभ्रक-निर्यातकों ने खरीददारों को विभिन्न प्रकार का छूट देना प्रारंभ किया। कुछ निर्यातक खरीददारों को प्रेषित माल (कनसाइनमेंट) की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर कीमत चुकाने का वक्त देते थे, जबकि कुछ निर्यातक 60 दिनों का और कुछ 80 दिनों का भी समय देते थे। इस दर की कटौती ने स्वयं निर्यातकों के बीच एक गंभीर असंतोष को जन्म दिया। इस असंतोष के कारण निर्यातकों ने भारत सरकार को एक (अभ्रक निर्यात प्रोत्साहन परिषद्) (माइका एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉसिल) (एम0ई0पी0सी0) की स्थापना के लिए दबाव डाला। अभ्रक-निर्यातक स्वयं इस परिषद् के सदस्य होते थे। यद्यपि अभ्रक के छोटे कार्यवाहकों द्वारा इसका विरोध किया गया, इसके बावजूद बड़े निर्यातकों द्वारा अभ्रक के व्यापार में सामान्यीकरण लाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों को पास किया गया।

अभ्रक निर्यातकों द्वारा खरीददारों को जो छूट दी जाती थी, उसे रोकने हेतु भारत सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए। अभ्रक व्यापार के इतिहास में पहली बार जनवरी 1964 में निम्न कीमत प्रस्तुत किया गया। अब सभी प्रकार के संशोधित अभ्रक के लिए भारत सरकार द्वारा एक न्यूनतम कीमत तय की गई। इससे निर्यातकों द्वारा खरीददारों को दी जानेवाली छूट पर रोक लग गया। लेकिन इसने एक दूसरी बीमारी को गंभीर बना दिया। यह बीमारी थी-प्रेषित माल पर साख का, जो कि व्यापार के प्रारंभ से ही चला आ रहा था। अतः भारत सरकार को तुरंत फरवरी, 1964 ई0 में एक दूसरा कानून बनाना पड़ा। इस कानून के तहत भारत के बैंक में खरीददारों द्वारा निर्यातकों के पक्ष में 100% साखपत्र की शुरूआत की गई। इस कानून ने भी तत्काल प्रभाव डाला। इसने व्यापार एवं 'कनसाइनमेंट व्यापार' को समाप्त कर दिया, जो वर्षों से चला आ रहा था। इस कानून के क्रियान्वयन से यद्यपि कुछ बीमारियाँ दूर हुई, लेकिन कुछ नई बीमारियों ने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। अब निर्यातकों ने सभी प्रकार के अभ्रक में छूट देना शुरू कर दिया। चूँकि अभ्रक की कीमत निर्धारित कर दी गई थी, अतः उन्होंने उच्चतम प्रकार के अभ्रक को कम कीमत पर बेचना प्रारंभ कर दिया। इस परिवर्तन ने अभ्रक उद्योग के समक्ष एक नई समस्या को जन्म दिया। अतः उन्होंने उच्चतम प्रकार के अभ्रक को कम कीमत पर बेचना प्रारंभ कर दिया। इस परिवर्तन ने अभ्रक उद्योग के समक्ष एक नई समस्या को जन्म दिया। अतः इस नए परिवर्तन से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए जुलाई 1964 ई0 में भारत सरकार द्वारा एक तीसरा कानून पास किया गया। इस कानून के द्वारा अभ्रक के पूर्व-शिप्मेंट निरीक्षण को आवश्यक बना दिया। इस कानून को लाने के पीछे मुख्य उद्धेश्य यह देखना था कि अभ्रक का निर्यात न्यूनतम कीमत पर हो और उच्चतम प्रकार का अभ्रक कम कीमत पर निर्यात न हो सके। यह कानून अपने उद्धेश्य को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रहा।

www.ignited.in

01 सितम्बर, 1961 ई0 को राज्य सरकार द्वारा 'अभ्रक व्यवसाय संघ' (माइका सिंडिकेट) को नियमित कर लिया गया। एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना इस उद्धेश्य के साथ की गई कि अभ्रक की माँग में उतार-चढ़ाव से अभ्रक उद्योग की रक्षा के लिए उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों की मदद की जाएगी। इसके साथ ही अभ्रक के परिष्करण एवं संशोधन में लगे लोगों के शेषण को कम किया जाएगा और अभ्रक पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

माइका सिंडिकेट (अभ्रक व्यवसाय संघ) की धारा के अधीन तत्कालीन बिहार के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त था कि वह पूर्णकालिक अवधि के लिए एक अध्यक्ष (चेयरमैन) और उसे सहयोग देने हेतु एक सचिव की नियुक्ति कर सके। बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर में राज्य सरकार द्वारा नामित 50% भूतपूर्व सरकारी निदेशक और 50% निर्वाचित 'निदेशक होते थे जिनके पास पाँच हजार रूपये तक का शेयर होता था। कम्पनी को शत-प्रतिशत राज्य के अधिकार में करने के लिए मई, 1975 में अभ्रक व्यवसाय संघ की धारा में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत् बिहार के राज्यपाल को कम्पनी के सभी डाइरेक्टरों को नामित करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिनकी संख्या दो से पन्द्रह के बीच होती थी।

अभ्रक व्यवसाय संघ की धारा में इसका कार्य क्षेत्र स्थूल रूप से काफी विस्तृत है जो निम्नलिखित हैं-

(क) अभ्रक खानों का खनन।

(ख) अभ्रक का संशोधन एवं परिष्करण।

(ग) विश्व की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अभ्रक उत्पाद को आधुनिक बनाना।

(घ) देश के भीतर एवं बाहर बाजार का सर्वेक्षण एवं विपणन।

(ड.) अभ्रक की अंतर्राष्ट्रीय माँग में उतार-चढ़ाव की प्रवृति का मुकाबला करने के लिए संसाधित अभ्रक की सूची तैयार करना।

(च) अभ्रक उत्पाद एवं अभ्रक के लेन-देन में संलग्न कंपनियों में भागीदारी और अभ्रक उद्योग को बढ़ावा देने हेतु इन कंपनियों का अधिग्रहण।

(छ) अभ्रक प्रसंस्करणों (Processors) में कमजोर वर्ग को मदद करना।

(ज) राज्य में अभ्रक-आधारित उद्योगों की स्थापना करना इत्यादि।

आरंभ में माइका सिंडिकेट को प्रसिद्ध सपही खान का प्रबंधन भी सौंपा गया। सिंडिकेट ने कुशलपूर्वक अपने कार्य का निष्पादन किया। सन् 1961 से 1978 तक माइका सिंडिकेट अभ्रक को 425.98 लाख रूपये में खरीदती थी और फिर उसे संसाधित करने के बाद विदेशी बाजारों में 505.95 लाख रूपये में बेच देती थी। इस प्रक्रिया में सिंडिकेट बहुत मुश्किल से अपने उद्धेश्य को प्राप्त करने में सफल रहा, खासकर कमजोर वर्गो को सहायता देने के मामलों में।

सन् 1975 ई0 के प्रारंभ में अभ्रक व्यवसाय संघ (माइका सिंडिकेट) ने वर्तमान कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया में 75 एकढ़ भूमि और गिरिडीह में एक बीघा और सतरह कट्ठा भूमि अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त किया। लेकिन एक भी इकाई की स्थापना नहीं की गई और न ही अभ्रक प्लांट की स्थापना के लिए कोई प्रयास किया गया। इसके बाद एक निर्माण इकाई की स्थापना की गई जो अधूरा ही रहा। पुनः एक अन्य इकाई की स्थापना का प्रयास किया गया, दुर्भाग्य से वह भी मूर्त रूप धारण नहीं कर सका।

अपने प्रबंधन के काल में 'अभ्रक व्यवसाय संघ' ने बची हुई क्षमताओं को खोजने की कोशिश की। इसने समुचित योजना के बिना खनन के कार्य को कार्यान्वित किया। पुराने खदान बन्द कर दिए गए और नए खदान खोले गए। इससे भारी नुकसान हुआ। कारखाना की तरफ से लगभग 31.5 लाख रूपये का नुकसान हुआ। पन्द्रह वर्षों में कुछ वर्षों को छोड़कर अभ्रक व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) को शुरू से लेकर अंत तक नुकसान उठाना पड़ा। अभ्रक खनन क्षेत्र में 1971 से 1978 के बीच 8 वर्षों में लगभग 61.3 लाख रूपये का घाटा हुआ। उत्तम अभ्रक खदानों के होने के बावजूद यह किसी भी अवस्था में सफलता प्राप्त नहीं कर सका।

नवम्बर, 1978 से अभ्रक खनन का कार्य बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) को स्थानांतरित हो गया। व्यापक कोशिशों के बावजूद 'अभ्रक व्यवसाय संघ' को लगातार भारी नुकसान उठाना पड रहा था। जिस मुख्य उद्धेश्य को लेकर सिंडिकेट की स्थापना की गई थी, उसे प्राप्त करने में माइका सिंडिकेट असफल रहा।

'माइका सिंडिकेट' की निरंतर असफलता ने इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राज्य सरकार ने इसकी विफलता के कारणों की जाँच करने के लिए मार्च, 1979 में श्री पी0सी0 भगत की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित की।

www.ignited.in

साथ ही स्टेट ब्यूरो ऑफ़ पब्लिक इन्टरप्राइजेज के अध्यक्ष को यह देखने का काम सौंपा गया कि इस तरह की गलती राज्य के अन्य सार्वजनिक उद्यमों में न दोहराई जाये।

माइका सिंडिकेट का प्रशासन चलाने हेतु अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया था। सिंडिकेट का प्रधान अंशकालिक अध्यक्ष या पूर्णकालिक अध्यक्ष होता था जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) के वरिष्ठ सदस्यों में से एक होता था। सिंडिकेट का सचिव (सेक्रेटरी) राज्य के प्रशासनिक सेवा से होते थे। लेकिन सिंडिकेट व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा और इसके पास व्यावसायिक विशेषता का भी अभाव रहा।

यद्यपि माइका सिंडिकेट ने अपने अध्यक्षों के समुद्रपारीय देशों के यात्राओं द्वारा विदेशी बाजार को समझने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सुव्यवस्थित परिणाम नहीं निकला। अतः माइका सिंडिकेट न तो अपने विपणन कुशाग्रता को विकसित कर सका और न ही वैदेशिक मामले के साथ व्यवसायिक संबंध को विकसित कर सका। साथ ही समुद्रपारीय देशों में अभ्रक की प्रचलित मांगों का भी मूल्यांकन करने मे यह असफल रहा। माइका सिंडिकेट का लक्ष्य के प्रति समर्पण न होना एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण के अभाव ने अभ्रक-आधारित उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया। अतः सिंडिकेट शीघ्र ही विदेशी मांग की अनिश्चितता एवं उतार-चढ़ाव के कारण एक अयोग्य व्यापारिक एजेंसी के रूप में परिणत हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभ्रक व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) इस वास्तविकता को समझने में असफल रहा कि विदेशी मांग की अनिश्चितता को कम करने के लिए नीति-निर्माण के स्तर पर राज्य सरकार एवं संघ सरकार के बीच और उसके सहायक मिटको (एम0आई0टी0सी0ओ0) द्वारा अपनाई गई। हालांकि इस तरह की नीति सिंडिकेट के व्यापारिक असफलता को समझने में शायद ही मदद करें। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ एवं बड़े अभ्रक खदान को सफलतापूर्वक चलाने तथा अभ्रक-आधारित उद्योगों की स्थापना में सिंडिकेट की असफलता की व्याख्या हेतु कोई भी स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। माइका सिंडिकेट की कार्यवाही आज भी स्पष्ट नहीं हो सका है। यह दुःख की बात है कि अपने अंदरूनी कमजोरियों के कारण माइका सिंडिकेट प्रभावशाली ढ़ंग से कार्य नहीं कर सका।

'माइका सिंडिकेटः

स्वास्थ्य एवं कल्याण' ने अभ्रक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस काल के दौरान अभ्रक मजदूरों और खदानों में कार्यरत बाल-श्रमिकों का भरपूर शोषण किया गया। यद्यपि सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण हेतु बहुत-सारे कानून पास किये गए, परंतु वे सिर्फ कागज पर ही रह गए। अभ्रक मजदूर सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी पिछड़े हुए थे। वे अपने सीमित आय का अधिकांश खर्च उत्सवों को मनाने और शराब पीने में करते थे। इसके कारण वे घोर गरीबी की दशा में चले गए। उनमें बहुत-सारी बुरी आदतें भी थी जिसके करण वे अनेक बीमारियों का शिकार थे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

मजदूरों में सौदा की क्षमता भी बहुत कम थी। क्योंकि अभ्रक उद्योग में रोजगार की तुलना में श्रम-शक्ति की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी। अभ्रक मजदूरों की कम मजदूरी का मुख्य कारण यह अतिरेक श्रम-शक्ति ही था। अभ्रक मजदूरों की न सिर्फ मजदरी कम थी, बल्कि उन्हें मजदूरी का भुगतान भी अनियमित रूप से किया जाता था। खदान-मालिक मजदूरी का पर्याप्त अंश अपने हाथों में रखने के बाद उसका भुगतान काफी विलम्ब से करते थे। यह कार्य-प्रणाली मजदूरों को अपने मालिकों को छोड़कर और दूसरी जगह जाकर काम करने से रोकने के लिए अपनाई गई थी। इस विलम्ब भुगतान के कारण मजदूर पंसारी पर आश्रित रहने लगे जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर डाला। मजदूरी भुगतान अधिनियम के लागू होने पर निस्संदेह मजदूरी भुगतान में विलम्ब और अनियमितता दूर हुई, लेकिन अभ्रक मजदूरों के असंगठित होने एवं इसे सशक्त रूप से लागू नही किए जाने के कारण उसे पूर्ण रूपसे दूर नहीं किया जा सकता। काम करने के घंटे के मामले में भी मजदूरों का खदान मालिकों से अनुचित समझौता होता था। कुछ खदानों में मजदूरों को दो दिन के बदले में चैबीस घंटे काम करने पड़ते थे। यह खदान अधिनियम का सरासर उल्लंघन था। खदान मजदूर एक असंगठित श्रम-शक्ति थे जो अपने मालिकों के शोषण के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते थे। अभ्रक बाजार में तेजी का सामना करने के लिए खदान मालिकों द्वारा अत्यधिक कार्य के घंटे के रूप में मजदूरों के शोषण को बढ़ावा मिला। इस अधिनियम के उल्लंघनों का पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि अभ्रक खदान जंगलों के अन्दरूनी हिस्सों में अवस्थित थे। इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं को लागू करने के लिए जितनी संख्या में निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) की जरूरत थी, उतनी संख्या में वे मौजू नहीं थे। अभ्रक कार्यस्थल पर भी मजदरों की स्थिति काफी दयनीय एवं असंतोषजनक थी। अभ्रक मजदूर अधिकतर कामचलाऊ अमानवीय बैरक में रहते थे।

www.ignited.in

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभ्रक खदान के मालिक अपने मजदूरों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं देते थे। वे अभ्रक उद्योग में मजदूरों के महत्त्व की कद्र नहीं करते थे। इसका सीधा परिणाम अभ्रक उद्योग में श्रम-शक्ति के निम्न प्रदर्शन के रूप में सामने आया। अभ्रक मजदूर अमानवीय दशा में रहने एवं कार्य करने को मजबूर थे। फलतः विभिन्न प्रकार के बीमारियों के शिकार होने लगे। शारीरिक संक्रमण उनमें एक आम बात थी और संक्रामक बीमारियों का फैलाव मजदूरों में बहुत तेजी से होता था। कभी-कभी मलेरिया महामारी के रूप में फैलता था। हालाँकि कुल मिलाकर हल्का संक्रमण होता था। लेकिन कुछ इलाकों में संक्रमण घातक एवं हानिकारक होता था जिसके फलस्वरूप जिन्दगी एंव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता था। अभ्रक व्यवसाय एवं वहाँ रह रहे मजदूरों से जुड़ी दूसरी सामान्य बीमारी ऑत का संक्रमण था जिसके कारण, अल्सर, पेचिश, कोलाइटिस, हैजा आदि बीमारियों का फैलाव होता था। इन सभी बीमारियों की जडे गंदे कुओं वं मौसमी नही से दूषित पानी का उपयोग था। मजदूरों के काफी गरीब तबकें के बीच टी0बी0 एक अन्य सामान्य प्रचलित बीमारी थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि मजदूरों के गरीब तबके के लोग सामान्य सुविधाओं यथा पेयजल, दवा आदि के अभाव में अभ्रक-कार्यस्थल पर ही रहने को विवश थे। यद्यपि खदान मालिको को अच्छ-खासा मुनाफा होता था। इसके बावजूद वे अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते थे। जबकि भारतीय खदान अधिनियम के अनुसार अभ्रक-कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार एवं अन्य साजो-समान की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस नियम का कभी पाल नहीं किया गया।

खदान मजदूरों ने इस कारण भी उपचार सरकारी अथवा निजी डॉक्टरों द्वारा नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके कार्यस्थल जंगल के बहुत ही अंदर थे जहाँ से चिकित्सकों की सेवा का लाभ उठाना मुश्किल था।

अभ्रक खदानों में बाल श्रमिकों की स्थिति भी भयावह थी। खदान मालिकों द्वारा अभ्रक खदान में कार्यरत बाल श्रमिकों का भरपूर शोषण किया गया। अभ्रक खदानों में बच्चों को खुल रूप से नियोजित किया जाता था। उनके अभिभवकों का भीषण गरीबी के कारण अपने बच्चों को अभ्रक खदान में भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि भारत सरकार द्वारा बाल नियोजन अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रावधानों के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना गैर-कानूनी कार्य था। यह अधिनियम अभ्रक उद्योग पर भी लागू होता था। किन्तु इस अधिनियम के बावजूद बच्चों को काम पर लगाना जारी रहा।

सन् 1970 ई0 के दशक तक अभ्रक उद्योग में मुश्किल से नियमित श्रम-शक्ति देखने को मिलती है। अभ्रक-मजदूर बेहतर पारिश्रमिक पाने की उम्मीद में सरदारों (अभ्रक ठेकेदार) के निर्देश पर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अधिकतर मजदूर पास के गाँव के ही होते थे। अभ्रक गड्ढ़ों में कार्यरत श्रमिको में आदिवासी जिनमें महिलाएँ एवं बच्चे भी शामिल थे, की संख्या सर्वाधिक थी। सरदार श्रमिकों को बहला-फुसलाकर गड्ढ़ों में काम कराते थे। इन सरदारों को श्रम-शक्ति की आपूर्ति हेतु खदान मालिकों द्वारा अनुबंध दिया जाता था। महाजन जो खदान के मालिक होते थे, अभ्रक खदानों में काम करने हेतु मजदूरों को अग्रिम धन का भुगतान करने के लिए सरदारों को पेशगी (अग्रिम भुगतान) देते थे। मजदूरों के विभिन्न प्रकारों में एक खास वर्ग के मजदूर होते थे जिन्हें 'भुल्ला' (Bhullas) कहा जाता था। ये अपने कार्य में काफी निपुण होते थे और बरसात के मौसम में जब खदानों में काम प्रायः स्थगित रहता था, वे लोहे के छड़ से छेद करके अभ्रक निकालने में निपुण थे।

झारखंड के अभ्रक क्षेत्रों में मजदूरों की असंगठित दशा उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं अभ्रक उद्योग है। उत्पादन के प्रत्येक चरण मं अभ्रक उद्योग की क्षमता व्यापक रूप से मजदूरों पर आश्रित थी। ऐसे में स्थानीय एंव प्रशिक्षित मजदूर-शक्ति के महत्व की कीमत कोई भी समझा सकता है। अभ्रक उद्योग में मजदूर मुख्यतः चार विभिन्न वर्गो में विभक्त थे-

(क) खदान मजदूर

(ख) कारखाना मजदूर

(ग) अपरचला मजदूर

(घ) अभ्रक चीरनेवाले गृह मजदूर

खदान मजदूर को प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। खनन क्षेत्रों में श्रम शक्ति की पूर्ति स्थानीय जनसंख्या द्वारा होती थी जो मुख्यतः कृषक होते थे और अभ्रक खानों से कमाई द्वारा अपने घरेलू बजट के अभाव की पूर्ति करते थे। अतः वे सप्ताह में 3-4 दिन से ज्यादा काम करते थे।

दुर्भाग्य से खदान घने जंगलों में स्थित होते थे। इन जंगलों में खदान 40 से 50 मील के घेरे में मात्र श्रमिक के नियोजन पर आधिर होते थे। विभिन्न कारणों यथा-बरसात के दौरान खेती, विभिन्न त्योहार आदि के चलते मजदूर सामान्यत-साल में छह महीने ही काम करते थे। अनुपस्थिति की यह

www.ignited.in

अनियमित्ता अभ्रक खदान में मजदूरों के निम्न क्षमत के लिए जिम्मेदार थी, खासकर वहाँ जहाँ संपीडित वायु ड्रीलिंग किया जाता था। हालाँकि इंजीनियर ने उचित ढंग से और सही दिशा-बिन्दु में गड्ढे करने का आसान तरीका बतलाया। लेकिन अपने स्थान-परिवर्तन की आदत और अनियमित उपस्थिति के कारण उन्हें न सही तरीके से गड्ढे करने की कोई विशेष पद्धति सिखाई जा सकती थी और न ही उन्हें संपिडित वायु ड्रीलिंग के काम में पर्याप्त अभ्यास कराया जा सकता था। परिणामस्वरूप उनके द्वारा किए गए गड्ढे एकदम उपर्युक्त स्थान पर सही दिशा में नहीं होते थे। इस प्रकार पूँजी-निवेश का कुछ भाग छेद करने में ही बर्बाद हो जाता था। निरंतर अभ्यास के अभाव में ड्रीलर द्वारा एक पूर्ण पालि में 40 फीट तक गड्ढा किया जाता था।

यद्यपि संपीडित वायु ड्रीलिंग झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में 20वीं0 शताब्दी के उत्तरार्द्ध से हीं प्रचलित है, तथापि आज भी कार्यक्षमता 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। यह समस्या प्रतिदिन मजदूरों की आपूर्ति की अनिश्चतता के कारण बढ़ती ही गई। सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अभ्रक खदान को आवश्यक संख्या में ड्रीलर (छेद करने वाले) और खदान से मलबा को साफ करने के लिए नियोजित मजदूर उपलब्ध हो पाते थे। जब ड्रीलरों की संख्या ज्यादा होती थी, तो सफाई करने वाले मजदूरों की संख्या अपर्याप्त। ऐसी परिस्थिति में भी यदि वांछित मात्र में चट्टान तोड़े जाते थे तो सफाई कर्मचारियों की जरूरत के कारण उन्हें अगली बार के लिए भी रखा जाता था। यदि पर्याप्त संख्या में खदान से मलवा हटाने के लिए मजदूर थे तो दूसरी ओर पर्याप्त मात्रा में काम करने के लिए ड्रीलर अनुपलब्ध होते थे। इस तरत खदान में काम प्रायः अपर्याप्त श्रम-शक्ति के साथ होता था और उत्पादन पर लगे लगात के महत्त्व को कोई भी अच्छी तरत से समझ सकता है।

झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में मजदूरों की अस्वास्थ्यकर दशा के साथ ही पर्याप्त संख्या में मजदूरों के अभाव ने अभ्रक उद्योग के साथ-साथ सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया। कुछ दशकों से ऐसा माना जा रहा है कि यदि खदान मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाए तो स्थायी एवं निपुण श्रम-शक्ति का अभाव नहीं रहेग। मजदूरों की दशा में सुधार के उद्वेश्य से भारत सरकार ने मजदूर कल्याण उपकर (Labour Welfare Cess) नामक कर लगाया जो कि भारत में अभ्रक के सभी निर्यात कर 2.5 प्रतिशत था। इस प्रकार के प्रारंभिक प्रस्ताव इस उद्वेश्य के साथ रखे गए कि रकम को कैसे खर्च किया जाए? इसमें शामिल थे- गृह योजना, खदान के सड़कों का सुधार और आधुनिक उपकरणों के साथ अभ्रक क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल आदि की स्थापना। कल्याण उपकर से प्राप्त राशि का कुछ भाग 'माइका सिंडिकेट: स्थापना। कल्याण' को दिया जाता था ताकि वह मजदूरों के कल्याण से संबंधित कार्यो में खर्च कर सके। माइका सिंडिकेट ने अभ्रक क्षेत्रों में मजदूरों के लिए अस्पताल एवं उनके बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। इन अस्पतालों में मजदूरों को मूफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती थी। अभ्रक क्षेत्रों में कच्ची सड़कों का भी निमार्ण किया गया। इस प्रकार सड़क, स्कूल एवं अस्पताल के मामले में इस राशि का सुदपयोग किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब तक झारखंड अभ्रक उद्योग के स्थानीय मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक उनकी अस्वास्थ्यकर दशा जारी रहेगी। बड़े खनन उद्यमों जैसे सिंहभूम में मोसाबनी ताम्र खदान, उत्तरी शान राज्यों (वर्तमान म्यानमार) में बाडविन खदान या मैसूर में कोलार स्वर्ण क्षेत्र आदि में बहुत ही कम संख्या में स्थानीय मजदूरों की नियुक्ति की जाती है। व्यवहारित रूप में भारत के विभिन्न भागों में मजदूर यहाँ नियुक्त किए जाते हैं। ये खदान आधुनिक पद्धतियों से संचालित होते हैं और स्थायी श्रम-शक्ति की उपलब्धता ही उनकी सफलता के कारण हैं।

झारखण्ड के अभ्रक खदानों के श्रमिकों की दशा काफी शोचनीय है। वे अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, लेकिन खदान मालिक उनकी दयनीय स्थिति के प्रति उदासीन हैं। अभ्रक श्रमिक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करने को विवश हैं। अपने कार्य के दौरान बहुत-सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन बीमारियों के कारण कुछ की मौतें भी हो जाती है। खादान मालिक इन बीमारियों से बचने के लिए जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। मलेरिया, आंत्र-शोथ, एनसिलॉस्टोमिएसिस, रति रोग, सिलिकॉसिस, तपेदिक आदि मजदूरों में प्रचलित आम बीमारियाँ थीं।

'माइका सिंडिकेट:स्वास्थ्य एवं कल्याण' ने इन बीमारियों के रोकथाम हेतु काफी काम किया। अभ्रक खान श्रम कल्याण द्वारा संचालित अस्पतालों में अभ्रक श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें मुफ्त दवाईयाँ भी वितरित की जाती थी। इससे रोगों पर काबू पाने में काफी मदद मिली। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं थे और अभ्रक श्रमिक प्रायः किसी-न-किसी बीमारी से पीड़ित रहते थे।

कोडरमा अभ्रक क्षेत्रों में कुछ अभ्रक खदान के मालिकों द्वारा भी अभ्रक श्रमिकों एवं उनके परिवार के उपचार की सुविधा

www.ignited.in

की व्यवस्था की गई थी। कोडरमा, गिरिडीह और झुमरी तिलैया में स्थापित बहुत-से अभ्रक कारखानों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (Employees State Insurance Act) लागू थे और इन कारखानों में काम करने वाले मजदूर इस अधिनियम की धारा के अन्तर्गत बीमाकृत थे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पटना स्थित प्रादेशिक निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार झुमरी तिलैया के 9 अभ्रक कारखानों एवं गिरिडीह के 26 अभ्रक कारखानों में ई0एस0आई0 (इम्प्लाय स्टेट इंश्योरेंस) योजना लागू थी। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत मजदूरों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता था-

(क) बीमारी लाभ,

(ख) अयोग्यता या असमर्थता लाभ,

(ग) आश्रित लाभ और

(घ) मातृत्व लाभ एवं चिकित्सा लाभ।

इन लाभों के अतिरिक्त मृतक बीमाकृत कर्मचारी के अंमित संस्कार को पूरा करने के लिए उसके आश्रितों को वित्तीय अनुदान भी मिलता था।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने झुमरी तिलैया एवं गिरिडीह में अपना दवाखाना भी स्थापित किया था। हालाँकि मजदूरों को हमेश शिकायत रहती थी कि दावाखानों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते थे और अच्छी किस्म की दवाईयों की आपूर्ति भी नहीं की जाती थी। उनका कहना था कि आपातकाल में भी दवायें उपलब्ध नहीं कराई जाती थी और उन्हें बाजार से खरीदना पड़ता था। मजदूर कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) की योजना एवं उनके दवाखानों से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे।

अभ्रक खान के श्रमिकों की तुलना में अभ्रक फैक्ट्री प्रतिष्ठानों के मजदूरों को कल्याण संबंधी बहुत कम सुविधाएँ प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने अभ्रक श्रमिकों के कल्याण हेतु दो श्रमिक कल्याण केन्द्र की स्थापना की थी- एक झुमरी तिलैया में दूसरा गिरिडीह में। ये केन्द्र पर्याप्त रूप से मजदूरों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। क्योंकि बहुत-से मजदूर गाँव से काम करने आते थे और मात्र कुछ ही मजदूर झुमरी तिलैया या गिरिडीह में निवास करते थे। इस प्रकार राज्य श्रम कल्याण केन्द्र द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का उपभोग कुछ ही मजदूरों द्वारा किया जाता था। अभ्रक कारखानों प्रतिष्ठानों के मालिकों ने भी मजदूरों के कल्याण के लिए तथा उनकी सुख-सुविधा के लिए कोई खास काम नही किया था। मजदूरों के प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया कि जब उद्योग अच्छी स्थिति में रहता था और मालिकों को पर्याप्त मात्रा में लाभ होता था तब भी मालिक अपने कर्मचारियों को शिक्षा, चिकित्सा, गृह या पुनर्निर्माण सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाता था।

अभ्रक के निर्यात मूल्य पर 3.5 प्रतिशत की दर से मजदूर कल्याण उपकर (Labour Welfare Cess) लगता था। निर्यात के समय यह सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। वह राशि अभ्रक खदान मजदूर कल्याण निधि (Mica Mines Labour Welfare Fund) जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित होता था, में जमा कर दिया जाता था। अभ्रक खदान मजदूर कल्याण संगठन केवल अभ्रक खदान मजदूरों को ही विभिन्न लाभ प्रदान करता था। इस संगठन से कारखाना/प्रतिष्ठान के मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिलता था। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-22 (केन्द्रीय) में अभ्रक खनन उद्योग में कार्यरत मजदूरों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए एंव कोष के निर्माण के लिए प्रावधान है। अभ्रक खनन का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि ये खनन स्थान भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से जंगलों के द्वारा बेतरतीब तरीके से बसे हुए क्षेत्रों के कारण अलग थे। इसके कारण अभ्रक श्रमिकों के कल्याण संबंधी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में असुविधा होती थी। इसके बावजूद 'माइका सिंडिकेट: स्वास्थ्य एंव कल्याण' ने मजदूरों की स्थिमि मे सुधार हेतु काफी सराहनीय कार्य किया।

इस कार्य में अभ्रक खान श्रम कल्याण ने भी माइका सिंडिकेट को काफी सहयोग प्रदान किया। अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि का एक केनद्रीय सलाहकार समिति भी था। इसके अलावे, झारखंड (तत्कालीन बिहार) में भी एक अभ्रक खान श्रम कल्याण समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अभ्रक मजदूरों के शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, गृह निर्माण आदि कार्यो के प्रति काफी ध्यान दिया।

निम्नलिखित ऑकडे अभ्रक श्रम कल्याण निधि के व्यय हेतु 1982-83 में स्वीकृत राशि को दर्शाते हैं। संपूर्ण व्यय अलग-अलग शीर्षो में है। इन शीर्षो की संपूर्ण व्यय राशि देश के लिए और झारखण्ड (तत्कालीन बिहार) के लिए अलग-अलग दी गई है-

क्र. सं.	मद का नाम	संपूर्ण भारत (करोड़ रूपये)	झारखण्ड (तत्कालीन बिहार)
1.	स्वास्थ्य	13.68	8.29
2	शिक्षा	54.45	37.25
3	पुनर्निर्माण	4.50	2.08
4	प्रशासन	14.25	7.50
5	गृह–निर्माण	2.10	2.10
6	जल–आपूर्ति	3.75	3.75
	कुल	92.73	60.97

झाखण्डके कोडरमा जिला के करमा नामक स्थान में अभ्रक खान श्रम कल्याण द्वारा स्थापित एक केन्द्रीय अस्पताल भी है। इस अस्पताल में अभ्रक श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें 200 बेडों की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 150 बेड सामान्य रोगियों हेतु एवं 50 बेड टी0बी0 के मरीज के लिए है। वर्तमान में इस अस्पताल की व्यवस्था असंतोषजनक है। इसके अलावे, एक क्षेत्रीय अस्पताल तिसरी (गिरिडीह) में है और बोरहाकोला एवं जोरा सिमरी में दवाखाना है। लेकिन इन दवाखानों में अभ्रक श्रमिक एवं उसके आश्रितों को घरेलू उपचार नहीं दी जाती है। खननकर्ता और उस पर आश्रित उसके माता-पिता, पत्नी एवं 21 साल तक के संतानों को ही चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। खननकर्ता एवं उसके आश्रितों को जो चिकित्सा प्रदान की जाती है, वह जिस खदान में काम करते है, वहाँ अस्पताल की सुविधा दी जाती है जिसे खदान के मैनेजर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है।

एक दशक पहले तक 'माइका सिंडिकेट': स्वास्थ्य एवं कल्याण' के अन्तर्गत संचालित बहुउद्धेशयी संस्थाएँ (Multipurpose Institutes) अभ्रक खदान में कार्यरत श्रमिकों को व्यस्क शिक्षा एवं उनके बच्चों को कक्षा-5 तक शिक्षा प्रदान करती थी। बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यकर्ताओं द्वारा इन बहुउद्धेशयों संस्थानों में व्यस्क महिला शिक्षा पर भी जोड़ दिया जाता था। अभ्रक खदानों के श्रमिकों के बच्चों को कक्षा-5 से लेकर आगे तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृति (स्कॉलरशिप) भी प्रदान किया जाता था। यह छात्रवृति स्नातकोत्तर और विशेष अध्ययन जैसे मेडिकल एवं इंजिनियरिंग के लिए भी प्रदान किया जाता था।

अभ्रक श्रमिकों एंव उनके परिवार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए बहुउद्धेशीय संस्थान केन्द्रों (एम0पी0आई0 सेन्टर) द्वारा मुफ्त में बड़े पर्दे पर सिनेमा भी दिखाया जाता था। अभ्रक श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय में सेविकाओं द्वारा देख-रेख की जाती थी। प्राथमिक विद्यालयों में बहुउद्धेशीय संस्थानों द्वारा बच्चों को खेल-सामग्री भी प्रदान की जाती थी। अभ्रक खान के श्रमिकों के बच्चों को, जो तिसरी (गिरिडीह), झुमरी तिलैया और कोडरमा में पढ़ रहे थें, छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध थी। इस छात्रावासों में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चों को मुफ्त आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती थी। उनके आवास एवं भोजन का संपूर्ण खर्च अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा उठाया जाता था। अभ्रक श्रमिकों के लिए कोडरमा में एक सरकारी कॉलोनी का भी निर्माण किया गया था। खदान मालिकों ने भी श्रमिकों के रहने हेतु आवास का निर्माण कराया था।

केन्द्र सरकार द्वारा अभ्रक मजदूरों के लिए 'अपने घर का स्वयं निर्माण' नामक एक योजना भी थी। इस योजना के तहत अभ्रक श्रमिकों को 500 रूपये की आर्थिक सहायता और 900 रूपये का लोन झारखण्ड के किसी भी गाँव में घर बनाने के लिए दिया जाता था इसे योजना से बहूत से अभ्रक श्रमिक लाभान्वित हुए। अभ्रक श्रमिकों को पेयजन की सुविधा देने के उद्देश्य से अभ्रक खान श्रम कल्याण द्वारा उनके निवास स्थान के निकट कुएँ का निर्माण कराया गया था।

झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में स्थित सभी बहुउद्देशीय संस्थानों (एम0पी0आई0) एवं लघु सामुदायिक केन्द्रों (एस0सी0सी0य स्मॉल कम्युनिटी सेंटर) द्वारा अभ्रक श्रमिकों एवं उनके बच्चों को खेलकूद की सुविधा प्रदान की जाती थी। इस क्रियाकलाप हेतु जो भी सामग्री की जरूरत होती थी, वह श्रमिकों को पदान की जाती थी। घरेलू एवं बाहार खेल (इनडोर एण्ड आउटडोर गेम्स) दोनों बिना किसी शुल्क के श्रमिकों को प्रदान किया जाताथा। अभ्रक श्रमिकों हेतु वार्षिक टूर्नामेंट, क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय खेल का आयोजन अक्सर कराया जाता था। इन खेलों में अभ्रक बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। महिलाएँ भी इन खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेती थी। इन खेल आयोजनों पर हुए संपूर्ण व्यय का भार अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा उठाया जाता था।

अभ्रक खानों में काम करने वाले श्रमिकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने हेतु बहुउद्देशीय संस्थानों केन्द्रों (एम0पी0आई0) तथा लघु सामुदायिक केन्द्रों (एस0सी0सी0) द्वारा क्षेत्र के कार्यकत्र्ताओं (फील्ड वक्र्स) के प्रत्यक्ष निरीक्षण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि में अभ्रक श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी भाग लेते थे।

बहुउद्देशीय संस्थान केन्द्रों (एम0पी0आई0 सेंटर) में जाने वाले अभ्रक श्रमिकों के सामान्य मनोरंजन के लिए विभिन्न वाद्य-यंत्र जौसे-हारमोनियम, ढोलक, झाँझ-मंजीरा आदि

www.ignited.in

उपलब्ध कराए जाते थे। रेडियो और लाउडस्पीकर की सुविधा भी प्रदान की जाती थी।

झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में अभ्रक श्रमिकों हेतु अध्ययन-सह-भ्रमण दौरा (Study-cum-Excursion Tour) नामक एक कार्यक्रम भी चलाया गया था। इस योजना के तहत अभ्रक खान में काम करने वाले मजदूरों को समय-समय पर महत्वपूर्ण अभ्रक अद्योग के स्थलों एवं धार्मिक स्थानों में निःशुल्क भ्रमण हेतु ले जाया जाता था। इसका संपूर्ण व्यय अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा उठाया जाता था।

उपर वर्णित विवरणों से स्पष्ट है कि अभ्रक खानों में काम करने वाले श्रमिकों हेतु 'माइका सिंडिकेट: स्वास्थ्य एवं कल्याण' तथा अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा वास्तव में कुछ सराहनीय कार्य किए गए। अभ्रक श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को दूर करने में अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन ने काफी सराहरनीय प्रयास किया। माइका सिंडिकेट ने भी अभ्रक श्रमिकों के लिए काफी कार्य किया जिसके फलस्वरूप अभ्रक खदान के मजदूरों एवं उनके बच्चों का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ।

निष्कर्ष:

आज अभ्रक खदानों के बंद हाने से झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में बेरोजगारी भयावह रूप ले चुकी है। अभ्रक खानों में खनन के दौरान करीब एक लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता था।[26] वर्तमार में इस क्षेत्र के लोगों की जीविका अभ्रक के स्क्रैप चुनकर बेचने पर निर्भर हो गई है।[27] अभ्रक खानों के बंद हो जाने के साथ ही माइका सिंडिकेट एवं अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन ने भी कार्य करना बंद कर दिया है। फलतः इस क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर में बहुत गिरावट आई है। अभ्रक मजदूरों का आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास अवरूद्ध-सा हो गया है। लोग आज भी अभ्रक उद्योग के पुराने दिन के लौटाने के इंतजार में हैं।

संदर्भ सूची:

1. राम कुमार तिवारी, 'झारखण्ड का भूगोलय राजेश पब्लिकेशन, दिल्ली 2001: पृष्ठ-81
2. वही
3. श्याम कुमार, 'झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन, राँची' 2004, पृष्ठ-246
4. 'आउटलुक साप्ताहिक, 25 जुलाई, 2005, पृष्ठ-21
5. बिहार गजट, 1984, पृष्ठ-43
6. वही
7. वही, पृष्ठ-44
8. 'राँची एक्सप्रेस, मई 17, 1990
9. वही
10. एस0ए0माजिद, 'द माइका इन्डस्ट्री ऑफ़ बिहार', पृष्ठ-66
11. वही
12. सी0एम0 राजगढ़िया, 'माइनिंग, प्रोसेसिंग एण्ड यूज ऑफ़ इन्डियन माइका', न्यूयार्क, 1951, पृष्ठ-175
13. बी0पी0 अदरकर, 'रिपोर्ट ऑन लेबर कंडीशंस इप द माइका माइनिंग एण्ड माइका मैन्यूफैक्चरिंग इन्डस्ट्री', पृष्ठ-56
14. वही, पृष्ठ-3
15. सी0एम0 राजगढ़िया, 'माइनिंग, प्रोसेसिंग एण्ड यूज ऑफ़ इन्डियन माइका', न्यूयार्क, 1951, पृष्ठ-146-147
16. एस0ए0माजिद, 'द माइका इन्डस्ट्री ऑफ़ बिहार', पृष्ठ-62
17. 'राँची एक्सप्रेस, मई 17, 1990
18. सी0एम0 राजगढ़ियाय उपर्युक्तय पृष्ठ-175
19. वही, पृष्ठ-176
20. वही पृष्ठ-177
21. 'राँची एक्सप्रेस, मई 17, 1990
22. वही
23. 'बिहार गजट', 1982, पृष्ठ-83
24. वही
25. वही, पृष्ठ-84

www.ignited.in

26. ‘आउटलुक साप्ताहिक, 25 जुलाई 2005, पृष्ठ-84

24. वही।

Corresponding Author

Dr. Ranjan Kumar*

ICHR, JRF, UGC Net, Patna University, Patna, Bihar

ranjan.kumar1201@gmail.com